न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी : उत्तम सिंह शेखावत (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2024/11 **दायर दिनांक 05.02.2024**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान) **—सायल—**

बनाम

मो0 ईकबाल पुत्र दीन मोहम्मद जाति नाई उम्र 60 साल निवासी वार्ड नम्बर 11 चूरू, पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू। **—गैरसायल—**

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :—

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल**

अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट :: चूरू (राज.) ::

निर्णय **दिनांक : 01.05.2024**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल मो0 ईकबाल पुत्र दीन मोहम्मद जाति नाई उम्र 60 साल निवासी वार्ड नम्बर 11 चूरू, पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू का रहने वाला है, जो अवैध जुआ सट्टा की खाईवाली करने का आदी है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :—

क.स.	मुकदमा नम्बर मय दिनांक	धारा व पुलिस थाना	चालान दिनांक	नतीजा अदालत
1.	51/24.02.2023	13 RPGO कोतवाली चूरू	21.08.2023	सजा 21.08.2023
2.	88/27.02.2023	13 RPGO कोतवाली चूरू	22.09.2023	सजा 22.09.2023
3.	94/02.10.2023	13 RPGO कोतवाली चूरू	16.12.2023	जैर तजवीज
4.	104/18.10.2023	13 RPGO कोतवाली चूरू	16.12.2023	जैर तजवीज

अतः इस्तगासा विरुद्ध मो0 ईकबाल पुत्र दीन मोहम्मद जाति नाई उम्र 60 साल निवासी वार्ड नम्बर 11 चूरू, पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही फरमाने का आदेश फरमावें।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल स्वंय हाजीर होकर जुर्म के संबंध में माफी दर्ज कर माफ करने हेतु प्रार्थना—पत्र दिनांक 29.02.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म स्वीकार करना चाहता है तथा भविष्य में किसी प्रकार का जुर्म/कृत्य नहीं करेगा तथा प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित करने की कृपा करें।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 04 बार, 13 RPGO के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल अन्तर्गत

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 04 मुकदमें 13 आर.पी.जी.ओ. में दिनांक 24.02.2023, 27.02.2023, 02.10.2023 व 18.10.2023 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (3)(3) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल मो0 ईकबाल पुत्र दीन मोहम्मद जाति नाई उम्र 60 साल निवासी वार्ड नम्बर 11 चूरू, पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल मो0 ईकबाल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू गैरसायल मो0 ईकबाल को थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू (राज.)

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू